भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2282

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करना

†2282. श्री देवुसिंह चौहानः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) सरकार का किस तंत्र के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी पेशेवरों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ग) सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सामाजिक अपवाद को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को और अधिक सुलभ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) का क्रियान्वयन कर रही है। एनएमएचपी के अंतर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के घटकों को 767 जिलों में क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यो / संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर पर डीएमएचपी के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में बहिरंग रोगी सेवाएँ, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक अंतःक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों की निरंतर देखभाल और सहायता, दवाइयाँ, आउटरीच सेवाएँ, एम्बुलेंस सेवाएँ आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली अंतरंग रोगी सुविधा की व्यवस्था है।

(ख): एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने और विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता

केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है।

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में, 69 संस्थानों/विश्वविद्यालयों को नैदानिक मनोविज्ञान में एम.फिल., व्यावसायिक डिप्लोमा, साइकोलॉजी में डॉक्टरेट (डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी) जैसे पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए आरसीआई द्वारा अनुमोदित किया गया है, और 9 संस्थानों/विश्वविद्यालयों को पुनर्वास मनोविज्ञान में एम.फिल. (पुनर्वास मनोविज्ञान) जैसे पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए आरसीआई द्वारा अनुमोदित किया गया है। परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से नैदानिक मनोविज्ञान में दो और कार्यक्रम, अर्थात बी.एससी. (नैदानिक मनोविज्ञान) और एमए (नैदानिक मनोविज्ञान) भी शुरू किए हैं।

सरकार डिजिटल अकादमियों के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या चिकित्सा और पैरा मेडिकल पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके देश के वंचित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति की उपलब्धता भी बढ़ा रही है।

(ग): जन मानस में मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करने संबंधी क्रिया-कलापों के अंतर्गत समुदायों स्कूलों, तथा कार्यस्थलों में सामुदायिक भागीदारी के साथ सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को शामिल किया गया है जो एनएमएचपी का एक अभिन्न अंग हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत देश के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) को 767 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मानसिक बीमारियों का पता लगाना, उनका प्रबंधन तथा उपचार करना है। इसके प्रमुख घटकों में स्कूलों और कॉलेजों में परामर्श, कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण, आत्महत्या रोकथाम सेवाएं और जागरूकता पैदा करने तथा मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को दूर करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) क्रिया-कलाप शामिल हैं।

(घ): सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.77 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नयन किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों (एमएनएस) पर विभिन्न संवर्गों के लिए परिचालन दिशानिर्देश और प्रशिक्षण नियमावली जारी की गई है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। दिनांक 17.07.2025 की स्थिति के अनुसार 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 23,82,000 से अधिक कॉलों का समाधान किया जा चुका है।

सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस - 10 अक्टूबर, 2024 के अवसर पर टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है। टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे मानसिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक, सभी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। सरकार ने टेली-मानस के अंतर्गत वीडियो परामर्श सुविधा भी शुरू की है, जो पहले से विद्यमान ऑडियो कॉलिंग सुविधा का ही एक विकसित रूप है ।

*****